



Neutral Citation No. - 2026:AHC:171881

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 संख्या- 8317/2026

अमित शुक्ला

..... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

..... विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : पंकज तिवारी, राजन उपाध्याय, वरिष्ठ अधिवक्ता

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता को हरियाणा राज्य को विपक्षी संख्या 6 के रूप में पक्षकार बनाए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2- आवेदक की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रमेश उपाध्याय, जिनकी सहायता श्री राजन उपाध्याय, विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।

3- वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन गिरफ्तारी की स्थिति में संक्रमणकालीन अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की मांग करते हुए मुकदमा अपराध संख्या 59 वर्ष 2026, अन्तर्गत धारा 217, 318(4), 324(4), 329(3), 336(3), 338, 340, 61(2) बी.एन.एस., 2023, थाना थानेसर सदर, जनपद कुरुक्षेत्र में प्रस्तुत किया गया है।

4- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रश्नगत अपराध में आवेदक की कोई भूमिका नहीं है। सह-अभियुक्त दलजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया था और उसकी जमानत के आवेदन पर संबंधित न्यायालय के समक्ष विचार किया जा रहा था तथा संबंधित न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के दौरान उपलब्ध कराए गए गिरफ्तारी के आधारों से यह संकेत मिलता था कि

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदक से भी पुलिस द्वारा पूछताछ किया जाना आवश्यक है। उक्त गिरफ्तारी के आधारों में इस प्रकटीकरण के पश्चात थाना थानेसर सदर की पुलिस आवेदक को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है, जो गाजियाबाद का निवासी है। आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक विवेचना में सहयोग करेगा तथा संबंधित विवेचना अधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा और हरियाणा स्थित संबंधित न्यायालय के समक्ष विधि के अंतर्गत उपलब्ध उपचार प्राप्त करेगा। तथापि, इस बीच उसे अपनी गिरफ्तारी की आशंका है। वह इस आधार पर अग्रिम जमानत की मांग कर रहा है कि सह-अभियुक्त दलजीत सिंह को कुरुक्षेत्र के ए.सी.जे.एम. के न्यायालय द्वारा नियमित जमानत प्रदान की गई है। आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि उसका प्रकरण सह-अभियुक्त वीरेंद्र सिंह के समान है, जिसका नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में है और जिसे अपर सत्र न्यायाधीश, कुरुक्षेत्र द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान की गई है।

5- विद्वान ए.जी.ए. ने संक्रमणकालीन अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया और तर्क दिया कि आवेदक हरियाणा स्थित संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर विधि के अंतर्गत उसे उपलब्ध उचित राहत की मांग कर सकता है तथा संक्रमणकालीन अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने का कोई प्रकरण नहीं बनता है।

6- मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया और अभिलेख पर लाई गई सामग्री का परिशीलन किया।

7- आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है। समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त दलजीत सिंह को कुरुक्षेत्र स्थित संबंधित न्यायालय द्वारा नियमित जमानत प्रदान की गई है। सह-अभियुक्त दलजीत सिंह को कथित रूप से तामील कराए गए गिरफ्तारी के आधारों में यह उल्लेख किया गया है कि आवेदक, जिसके घटना में सम्मिलित होने की बात कही गई है, की भी पहचान किया जाना तथा आमने-सामने पूछताछ किया जाना आवश्यक है। गिरफ्तारी की जो आशंका व्यक्त की गई है, वह उपर्युक्त उल्लिखित निरुद्धि के आधारों पर है, जिन्हें इस अग्रिम जमानत आवेदन के संलग्नक संख्या 4 के रूप में संलग्न किया गया है। सह-अभियुक्त वीरेंद्र सिंह को अपर सत्र न्यायाधीश, कुरुक्षेत्र द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान की गई है और न्यायालय की प्रथमदृष्टया राय में, प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक का कोई अन्य सूचित आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है, आवेदक को आज से एक माह की अवधि

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के लिए संक्रमणकालीन अग्रिम जमानत प्रदान किया जाना उचित होगा, बशर्ते कि वह समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो जमानतदार प्रस्तुत करे।

8- उपर्युक्त के दृष्टिगत, आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

9- प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक-अमित शुक्ला संक्रमणकालीन अग्रिम जमानत की मांग कर रहा है, आवेदक को आज से एक माह की अवधि के लिए संक्रमणकालीन अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, ताकि वह उक्त अवधि के भीतर संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो सके, बशर्ते कि वह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद की संतुष्टि के अनुसार 25,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करे, निम्नलिखित शर्तों के अधीन :-

(i)- आवेदक जब भी अपेक्षित हो, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा।

(ii)- आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए।

(iii)- आवेदक वर्तमान आदेश के प्रभावी रहने के दौरान संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

(iv)- यदि आवेदक अपना आवासीय पता बदलता है, तो वह नए आवासीय पते की सूचना संबंधित न्यायालय/विवेचना अधिकारी को लिखित रूप में देगा।

(v)- आवेदक विधि एवं व्यवस्था बनाए रखेगा।

(vi)- आवेदक बंधपत्र निष्पादित करते समय अपना पता एवं मोबाइल नंबर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद को उपलब्ध कराएगा।

(vii)- आवेदक आज से 45 दिनों के भीतर संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

10- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद वर्तमान आदेश के अनुपालन में आवेदक द्वारा प्रस्तुत बंधपत्र एवं जमानतदारों के विवरण की प्रति तत्काल संबंधित न्यायालय को भेजेंगे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11- यदि आवेदक उपर्युक्त अवधि के भीतर संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो वर्तमान आदेश स्वतः वापस लिया हुआ माना जाएगा और संबंधित न्यायालय विधि के अनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

12- इस आदेश की एक प्रति इस न्यायालय के रजिस्ट्रार (अनुपालन) द्वारा संबंधित थाने को भेजी जाए।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुकला)

14 अगस्त, 2026

अजीत